

राजस्थान सरकार  
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प.2(1)सै.क./2022

जयपुर, दिनांक 11.07.23

—: आदेश ::—

बजट घोषणा संख्या 362 वर्ष 2023-24 की क्रियान्विति हेतु एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) पदक धारकों को दिनांक 26.01.1990 से राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल करते हुए राशि 6.00 लाख रुपये नगद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में राशि 25.00 लाख रुपये दिये जायेंगे।

(2) तटरक्षक मेडल (वीरता) पदक धारकों को दिनांक 26.01.1990 से राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल करते हुए राशि 0.30 लाख रुपये नगद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में राशि 25.00 लाख रुपये दिये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 162301294 दिनांक 28.06.2023 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भरत कुमार सौंखिया)  
शासन वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

:-

1. महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग।
5. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन वरिष्ठ उप सचिव  
Signature valid

वरिष्ठ शासन उप सचिव कक्ष संख्या - 5232, मुख्य भवन, जयपुर।  
अनुभाग कक्ष संख्या - 5111, दूरभाष संख्या - 256

Digitally signed by भरत कुमार  
Sankhya  
Designation : Deputy Secretary  
Date: 2023.07.11 15:38:06 IST  
Reason: Approved